न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/66

1. मूल्या पुत्र स्व0 धन्ना जाति बैरवा, निवांसी ग्राम नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. महादेव पुत्र छोट्या बैरवा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम नापाकाबास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 05.06.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी महादेव बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 18/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री पं0 रामबाबू शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री विष्णु कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.06.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 20.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 177/27 रकबा 1.6312 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7070 है0 भूमि वाके ग्राम नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 123 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 177/27 रकबा 1.6312 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7070 है0 वाके ग्राम नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के आदेश की पालना करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट मूल्या पुत्र स्व. धन्ना ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 05.06.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2024 खिलाफ कानून पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है। आराजी ख0नं0 123 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, ख०नं० 125 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, ख0नं0 177/27 रकबा 1.6312 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.7070 हैक्टेयर भूमि ग्राम नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट महादेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. 1956 वास्ते पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा बतौर अप्रार्थी राज० सरकार तहसीलदार रामगढ पचवारा को पक्षकार दर्ज किया था रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया था उस प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पडौसी खातेदार होने के बावजूद भी पक्षकार दर्ज नहीं कर भारी कानूनी भूल की है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बरान जिनके संबंध में पत्थरगढी के आदेश चाहे गये थे उनके बारे में पडौसी खातेदारान ख०नं० 178/127 एवं 179/127 की भूमि जो अपीलांट मूल्या की खातेदारी भूमियां है। कानूनन 128 एल.आर.एक्ट. के प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये जाने से पूर्व पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। प्रश्नगत निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात की और अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। जबकि धारा 128 एल.आर.एक्ट. 1956 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये जाने से पूर्व पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार दर्ज कर सुनवाई का मौका दिया जाना कानूनन जरूरी है। अपील जैर निर्णय में भारी कानूनी मिस्टेक होने के कारण प्रश्नगत निर्णय प्रारंभतः ही निरस्तनीय है।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य जमीनों को लेकर विभिन्न अदालतो में मुकदमे बाजी विचाराधीन है। न्यायालय आर.ए.ए. जयपुर कैम्प लालसोट के समक्ष एक अपील उनवानी मूल्या बनाम् महादेव जैरकार हैं जो इन्हीं भूमियों के गलत विभाजन को लेकर अपीलाण्ट द्वारा अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है। इन सब के बावजूद भी दिनांक 15.04.2024 को जो रिकार्ड प्राप्त किया है उस रिकार्ड में भी अपीलांट के पडौसी खातेदार होने का जिक्र नहीं किया है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय ज्यूडिशियल डिस्क्रिशन के एकदम विपरीत है। अपीलाण्ट इस निर्णय से पीडित है। क्योंकि वह रेस्पोडेन्ट खातेदार का पडौसी खातेदार हैं। कानूनन पडौसी खातेदार को विधिवत सुना जाना आवश्यक है। प्रश्नगत निर्णय में इन सब बातों का अभाव है। ऐसी सूरत में दिनांक 05.06.2024 को प्रचलित निर्णय न्याय साम्या सद्विवेक के विपरीत होने के कारण काबिले इखराज है। प्रश्नगत गलत निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रामगढ पचवारा से सांठ गांठ कर भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहता हैं। यदि इस गलत निर्णय के आधार पर सीमाज्ञान होता हैं तो अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति की सूरत होगी। प्रश्नगत गलत निर्णय की अपीलांट को जानकारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 05.06.2024 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा में निर्णय दिनांक 05.06.2024 की नकल हेतु उसी दिन नकल आवेदन किया तब निर्णय की नकल दिनांक 05.06.2024 को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.06.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 05.06.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 177/27 रकबा 1.6312 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7070 है0 भूमि वाके ग्राम नापाकाबास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। उभयपक्षों ने दौराने बहस यह स्वीकार किया है कि दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर